परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गाँव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापित्त प्रमाण-पत्र

ग्रांम पंचायत का नाम – रॉथी, तहसील– धारचूला, जिला– पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाणपत्र

ित्तराखण्ड में जानपद — पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी परियोजन के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.275 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.275 है0 वन भूमि का निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट,विभाग / संस्था के पक्ष में भारत संस्कार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पचायत रॉथी द्वारा दिनांक 20-11-2014 को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापित जनाण पन्न निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्मण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया, / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रॉथी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमिनिमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / – ग्राम सचिव ব্যাহ্য বিশ্বাস্থ্য ক্ষা বিশ্বাস্থ্য ক্

निंट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उत्तर प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक २०-११-१५को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत — रॉथी

कमाक	गाम सभा में ज्यारिका न	
10	ग्राम् सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
<u> </u>		7416
2-	अपवान वामानान	granian
	दलें विद की वा	200
	भर्भ । जिर्	Dentsud
		signal
6.	अधिक दे सिंह	गा विन्दीर्भे
4)	all Xy E	79 STABE
3)	di us a le	राधनु वार।
/		9-7
9	22-91 199	50
	5,5	cr
/ 1 D) a	(1मापिट	4) +1 H & >
Z112	417/16E,	BM1-25.5
(127	17 (G)	214/14/2
(,		1
(13)+	JOINTE	101/12
		11(185) 146
(14)-	-11(1216) (8)2	711/1/1/CO
(15)	अर्जन रिलंड	8105.1 /-1 6

ह0/-ग्राम प्रधान , प्रवास 20/11/14 ्राम प्रधान , प्रवास 20/11/14

परियोजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गाँव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गॉव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.। (0.00 है0 आरिक्षत वन भूमि, 0.275 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.275 है0 वन भूमि) का निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सिमिति, (तहसील — धारचूला) की दिनांक 01 - 12 - 2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1—	श्री प्रमोद कुमार उपजिलाधिकारी — पुर्झाट कुमार ——अध्यक्ष
2—	тетл
3-	श्री जीतराम् आर्य सहायक समाज कल्याण अधिकारी हास्ट्रिल सदस्य/ सचिव
4—	श्री सिरिटा बीर। बीठडी०सी० क्षेत्रस्तर्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से गेरा गाँव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.। परियोजना हेतु 0.275 है0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिखत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, प्रविधान को अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी, से बोरा गाँव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.गी.। परियोजना के निर्माण हेतु 0.275 है0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता

एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उत्त विकासिकारी

उप जिलाधिक प्राप्नुभायक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील–धारचूला, जनपद – पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी धारचूला-(पिथीरागढ़) उप जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील–धारचूला जनपद – पिथौरागढ़



प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गाँव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद—पिथौरागढ के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गाँव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति धारचूला तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व सलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0 / – जिलाधिकारी

जिला अधिकारी पिथीरागढ्

नोट :— उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा। सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण—पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गाँव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद — पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रॉथी से बोरा गाँव तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 2.00 कि.मी.। पियोजना के निर्माण हेतु0.275 .हे0 वन भूमि निमार्ण खण्ड लोक निमार्ण विभाग अस्कोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98—एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ0सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

ह0 जिला अधिकारी जिलाधिकारीमध्यीरामढ

GOVERENMENT OF UTTARAKHAND OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAARH ...

Dated 5 - 2 - 2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that <u>0.275</u> Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of <u>Ranthi To Boragaon motor Road (length 2.00 Km)</u> Construction Division P.W.D. Askote (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdication of <u>Ranthi (Boragaon) village(s)</u> in <u>Dharchula Tahsils</u>.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire <u>0.275</u> hectares area proposed for diversion A copy of records of all consolation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) subdivision level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and preagricultural at communities

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official seal of the District Collector)

जला अधिका पिथौरागढ़

F-\PWD ASKOTE LETTER'S\nal\nandev G\PANDEY Ammin/vanhhumi Format 2013

It is further certified that :

の行動の大学の対しているのであるというできないのできないのできないのできないのできないのできないのできないのできないの	SI. No. (a)	carried out for the entire <u>0.275</u> hect. Of forest area proposed for diversion . a copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging tot scheduled tribes and other Traditional Dwellers.
£	(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of oncerned motor road os affixed the the forest file.
	(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers

Encl: As above

Signature पियोराग्व

(Full Name of the official seal of the District Collector)

जियो रेफेरेन्स मैप - राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा धारचूला में 1.00 रॉथी गांव से बोरा गांव तक मोटर मार्ग के, निर्माण कार्य हेत् Scale - 1:10,000 80°33'0"E 80°33'30"E 80°34'0"E Ranthi Longitude Latitude 80°33' 22.437" E 29°53' 27.525" N 80°33' 22.055" E 29°53' 22.253" N 80°33' 21.621" E 29°53' 17.001" N 80°33' 19.500" E 29°53' 12.301" N 80°33' 15.001" E 29°53' 10.889" N 80°33' 10.433" E 29°53' 8.834" N 80°33' 5.674" E 29°53' 6.564" N 80°33' 0.491" E 29°53' 5.562" N 80°32' 55.476" E 29°53' 6.822" N 10 80°32' 56.071" E 29°53' 2.161" N 80°32' 53.572" E 29°52' 57.699" N ब्रधागीय वर Borgaon 80°32' 53.441" E| 29°52' 52.411" N Muck Dumping 80°33' 22.209" E 29°53' 19.703" N अवियन्ता 80°32' 55.637" E 29°53' 1.294" N निर्माण सण्ड, लोगिनि बग्र जुलो 80°34'0"E Legendal Agenda असाम विकासका Muck Dumping Proposed Road धारचूला (पिथौरागढ़) **GPS** Coordinates **Existing Road** 120 2610312018

प्रपत्र-19

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचलू के रॉथी से बोरागॉव मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 2.000 किमी0)

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र

> वन जेवा प्रकारों धारवृता स्य प्रचाप पिथोंबाबर

ह0 / प्रभागीय वनाधिकारी

ह्मानीय वन अधिकास वियोगमुद्र बन भाग

of the second of the second of the second of the second

BD

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

<u>फैक्स नं0−05964−238724</u> पत्रांक− **व**18 / 13 सी0 E-mail- eepwdaskote@gmail.com

दिनांक 3 | 5 -2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में रॉथी से बोरागॉव मोटर मार्ग में लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक का पत्रांक 83/FP/UK/ROAD/9429/2015 Date 11-07-2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है:—

1	प्रस्ताव में भाग-I,II,III में भरवाकर एवं नाम व दिनांक	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ स्तर से किया जाना
1	अंकित कर संलग्न किया जाय।	है।
2	प्रस्ताव में स्थलीय निरीक्षण रिर्पोट संलग्न कर उपलब्ध	प्रस्ताव में स्थलीय निरीक्षण रिर्पोट संलग्न कर दिया
2	करायी जाय।	गया।
	प्रस्तावित मोटर मार्ग के जी०ओ०-रिफरेन्स मैप, जिसमें	प्रस्तावित मोटर मार्ग के जी0ओ0-रिफरेन्स मैप, जिसमे
2	प्रत्येक बैड पर एवं 200 से 300 मी0 दूरी पर	प्रत्येक बैड पर एवं 200 से 300 मी0 दूरी पर
3	जी०पी०एस० कॉर्डिनेटस प्रदर्शित हो हार्ड कॉपी एवं	जी०पी०एस० कॉर्डिनेटस प्रदर्शित कर आनलॉइन
	साफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराया जाय।	अपलोड कर दिया हैं।
	प्रस्तावित स्थल की राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से हवाई दूरी रिक्त है। प्रभागीय वनाधिकारी	प्रस्तावित स्थल की राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण
4		की सीमा से हवाई दूरी अंकित कर दी गयी है।
4		प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त हवाई दूरी का प्रमाण
	द्वारा प्रदत्त हवाई दूरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	पत्र संलग्न कर दिया गया है।
	प्रस्ताव में वन अधिकारी 2006 के संगत प्रपत्रों में तिथि	प्रस्ताव में वन अधिकारी 2006 के संगत प्रपत्रों में तिथि
_	अंकित कर संलग्न किये जाये एवं परियोजना से	अंकित कर संलग्न कर दिये गये हैं एवं परियोजना से
5	लाभान्वित ग्रामों का ग्रामवार अनापत्ति प्रमाण पत्र	लाभान्वित ग्रामों का ग्रामवार अनापत्ति प्रमाण पत्र
	संलग्न कर उपलब्ध कराया जाए।	संलग्न कर दिये गये है।
6	प्रश्नगत प्रस्ताव की मूल प्रति प्रस्तुत की जाए।	प्रश्नगत प्रस्ताव की मूल प्रति आनलाईन स्वीकृति के
6		पश्चात ही पुनः प्रस्तुत की जायेगी।

अतः उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सेवा में प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०, अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक / 13 सी0 तद्दिनांक प्रतिलिपि:— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड,देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

> अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०, अस्कोट(पिथौरागढ़)